



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062023-246247
CG-DL-E-02062023-246247

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2313]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2023/ज्येष्ठ 12, 1945

No. 2313]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2023/JYAISHTHA 12, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 2023

का.आ. 2423(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

(1) इस आदेश का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2023 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में खंड 3 में, उप-खंड (2) में, मद (i) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

“(i) 31 अक्टूबर, 2023 तक की अवधि के लिए दालों नामतः तूर और उड़द को, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ रखा जाएगा;

- थोक विक्रेता: प्रत्येक दाल के लिए 200 मीट्रिक टन;
- खुदरा विक्रेता: प्रत्येक दाल के लिए 5 मीट्रिक टन;

- बड़ी शृंखला वाले खुदरा विक्रेता (बिग चैन रिटेलर्स) – प्रत्येक दाल के लिए, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और डिपो में 200 मीट्रिक टन;
 - मिलर: स्टॉक सीमा विगत 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25%, इनमें से जो अधिक हो, होगी।
 - आयातक: आयातक द्वारा सीमा-शुल्क की मंजूरी की तारीख से 30 दिनों से अधिक के लिए आयातित स्टॉक को धारित नहीं किया जाएगा।
3. उपरोक्त, संबंधित विधिक इकाइयां उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in/psp) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी और यदि उनके द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो वे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्टॉक को निर्धारित सीमा तक लाएंगी।
 4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विभाग अर्थात् उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टॉक की नियमित घोषणा की जाए और इसे अद्यतन किया जाए।

[फा. सं. एस-10/3/2019-ईसीआरएंडई]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 929(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2016 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और तदोपरांत इसमें का.आ. 3341(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2016, का.आ. 1288(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2017, का.आ. 1600 (अ), तारीख 17 मई, 2017, का.आ. 2785(अ), तारीख 25 अगस्त, 2017, का.आ. 3136(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2017, का.आ. 3397(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017, का.आ. 3422(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2017, का.आ. 4079(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2017, का.आ. 2414(अ), तारीख 13 जून, 2018, का.आ. 2826(अ), तारीख 6 अगस्त, 2019, का.आ. 3540(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2019, का.आ. 4298(अ), तारीख 28 नवंबर, 2019, का.आ. 4341(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2019, का.आ. 4417(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2019, का.आ. 4471(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2019, का.आ. 901(अ), तारीख 27 फरवरी, 2020, का.आ. 3776(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2020, का.आ. 2674(अ), तारीख 02 जुलाई, 2021, और का.आ. 2871(अ), तारीख 19 जुलाई, 2021 के माध्यम से संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 2023

S.O. 2423(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:-

1. Short Title and Commencement-

- (1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs(Amendment) Order, 2023
- (2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), item (i) shall be inserted namely:-

“(i) Pulses namely tur and urad for a period up to 31st October 2023 with following stock limits for all States and Union Territories:

- **Wholesaler: 200 MT for each of the pulse;**
- **Retailer:5 MT for each of the pulse**
- **Big chain retailers: 5 MT for each of the pulse at each retail outlet and 200 MT at depot for each of the pulse;**
- **Millers: Stock limits will be last 3 months production or 25% of annual installed capacity, whichever is higher.**

- **Importers: Importers not to hold imported stock beyond 30 days from the date of custom clearance.**

3. Respective legal entities, as above, shall declare the stocks position on the portal (fcainfoweb.nic.in/psp) of Department of Consumer Affairs and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits then they shall bring the same to the prescribed stock limits within 30 days of issue of this notification.

4. It shall be ensured that pulses stock is regularly declared and updated on the portal of this Department i.e. Department of Consumer Affairs.

[F. No. S-10/3/2019-ECR&E]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note :The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended vide numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25th April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017, S.O.2785 (E), dated the 25th August, 2017, S.O. 3136(E), dated the 27th September,2017, S.O. 3397(E), dated the 23rd October,2017, S.O. 3422(E), dated the 25th October,2017, S.O. 4079(E), dated the 27th December,2017 and S.O. 2414(E) dated the 13th June, 2018, S.O. 2826(E), dated the 6th August, 2019, S.O. 3540(E), dated the 29th September, 2019, S.O. 4298(E), dated the 28th November, 2019, S.O. 4341(E), dated the 3rd December, 2019, S.O. 4417(E), dated the 10th December, 2019, S.O. 4471(E), dated the 16th December, 2019, S.O. 901(E), dated the 27th February, 2020,S.O. 3776(E), dated the 23rd October, 2020, S.O. 2674(E), dated the 2nd July, 2021 and S.O. 2871(E), dated the 19th July, 2021.